

उपखण्ड अधिकारी  
बांदीकुई

15<sup>7</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली केस हुई। बकीलों द्वारा कर्तव्य  
अभ्यन्त / P.O. सा ० केस में लगे  
होने से जनरल तारीख करके हो गई, जो  
आदेश की पाठान्न में दिनांक 12/8/24  
की केस हो।

उपखण्ड अधिकारी

8  
24

पत्रावली प्रेष हुई। वकील वादीगण एवं  
वादीगण उपस्थित नहीं। बार-बार कोवाण  
लगावली। फिर भी धामिर नहीं। कोर्ट में  
बार शाम 5:00 P.M. पर कोवाण लगावली  
उपली। परन्तु धामिर नहीं। अंतः-पकरण  
वादीगण वकील व वादीगण की कोर्ट-धामरी,  
कोर्ट-पेशी में उपस्थित किया जा रहा है। पत्रा-  
वली के अनुसार धामर को उपखण्ड अधिकारी  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बांदीकुई